

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

सं०-16/एम.1-03/2008 - (आ०चि०)/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2010 एवं (संशोधन) नियमावली 2017" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2010" के नियम 2(घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
2(घ) - आयोग से अभिप्रेत है "बिहार तकनीकी सेवा आयोग"
3. "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2010" की अनुसूची-1 के क्रम संख्या (1)(i) एवं (3) संयुक्त प्रशासनिक पद को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
(1) सामान्य कर्तव्य उपसम्वर्ग :-
(i) चिकित्सक पदाधिकारी, आयुष
(3) संयुक्त प्रशासनिक पद :-
(i) जिला मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारी/प्रबंधक/अधीक्षक
(ii) उप निदेशक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ)
(iii) निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ)
(iv) महानिदेशक (आयुष)

उक्त पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/ राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त)(संशोधन) नियमावली 2017" के नियम-2(iii) (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
(1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विभाग से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना एवं भर्ती की अधियाचना प्राप्त होने पर, सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ऐसी रीति से विज्ञापित करेगा जैसा वह उचित समझे और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा तथा मेधासूची निम्नलिखित आधार पर तैयार करेगा :-

- (i) बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 में प्राप्तांक के लिए -60 अंक
- (ii) स्नातकोत्तर उपाधि / उच्चतर उपाधि यथा एम0डी0 / एम0एस0, आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ या इससे उच्चतर उपाधि के लिए -15 अंक
- (iii) बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों / औषधालयों में नियुक्ति / अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्राप्त कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) -25 अंक
- कुल-100 अंक

स्पष्टीकरण:- (क) बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रहेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर प्राप्त अंको के आधार पर ही आयोग द्वारा मेधासूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12535, दिनांक-17.09.2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरविन्दर सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-16 / एम.1-03 / 2008 -

प्रतिलिपि-वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-16 / एम.1-03 / 2008 - 25 (आ.चि.) पटना, दिनांक- 06.01.2020

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार / माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार एवं विभाग के सभी विभागाध्यक्षों / सभी उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—निदेशक, आयुर्वेद/होमियोपैथिक/यूनानी/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, युनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी औषध निर्माणशाला, पटना/निबंधक, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, पटना/निबंधक, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, पटना/उपाधीक्षक, दस शय्या युक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/आयुष निदेशालय के संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

Government of Bihar
Health Department
Notification

Patna, Dated-

F.No.-16/M1-03/2008.....(Aa.Chi.)/ In exercise of powers conferred under Proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is hereby pleased to make the following Rules to amend “the Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contractual basis and Service Conditions) Rules, 2010” and the (Amendment) Rules, 2017:-

- 1- Short title, extent and commencement: - (1) These Rules may be called as “the Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment of Regular/Contractual basis and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2019”.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of issue.
- 2- Substitution of clause (d) of Rule-(2) of “the Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contractual basis and Service Conditions) Rules, 2010” shall be substituted by the following: -
2(d) “**Commission**” means the Bihar Technical Service Commission.
- 3- Serial no. 1(i) and (3) Combined Administrative Post, of the Schedule-I of the Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contractual basis and Service Conditions) Rules, 2010” shall be substituted by the following: -
 - (1) General Duty Sub-Cadre: -
 - (i) Medical Officer Ayush
 - (3) Combined Administrative Post: -
 - (i) District Chief Ayush Medical Officer/Manager/Superintendent.
 - (ii) Deputy Director (Ayurved, Unani and Homoeopath)
 - (iii) Director/Regional Director (Ayurved, Unani and Homoeopath)
 - (iv) Director General (Ayush)

The pay scale/pay level of the above said posts shall be such as determined by the Finance Department, Government of Bihar, from time to time.

4- Rule-2(iii)(2) of "the Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contractual basis and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2017" shall be substituted by the following: -

(1) The Bihar Technical Service Commission, after receiving information about the vacancy to be filled through direct recruitment and requisition for recruitment from Department, shall advertise the number of vacancy to be filled by direct recruitment in such manner as it deem fit and shall invite application from candidates and shall prepare merit list on the following basis:-

(i) For marks obtained in B.A.M.S./ B.U.M.S./ B.H.M.S -60 marks

(ii) For Post Graduate Degree /Higher Degree, for example M.D/M.S.
or other Higher Degree in Ayurved, Unani and Homoeopathy -15 marks

(iii) For work experience received in Hospitals/Dispensaries
accredited by the Government of Bihar, after appointment
on the basis of Appointment/Contract (For experience in
every full year-5 marks, maximum 25 marks) -25 marks

Total – 100 Marks

Explanation:- (a) Marks obtained by any candidate in B.A.M.S./ B.U.M.S./ B.H.M.S examination shall be determined by multiplying the percentage marks obtained with a multiplier of 0.6. For example, if a candidate has obtained 50% marks then he will be given $50 \times 0.6 = 30$ marks.

Provided that, there will be no provision for Interview for appointment on the post of Medical Officer. The Commission shall prepare the merit list on the basis of marks obtained on the basis of educational qualification and work experience and recommend for appointment. In addition to it, as per Resolution no.-12535 dated-17-09-2018 (as amended from time to time) of General Administration Department, 50% horizontal reservation shall be applicable for all categories of candidates, who have passed from medical colleges within the state of Bihar.

By the order of the Governor of Bihar

sd/r

(Arvinder Singh)

Special Secretary to the Government

Memo No- 16/M1-03/2008-

Patna, Dated-

Copy to : -Finance Department (E.Gazatte Section), Bihar, Patna for publication in the
extraordinary edition of Bihar gazette.

sd/r

Special Secretary to the Government

Memo No- 16/M1-03/2008-25 (Aa. Chi) Patna, Dated- 06.01.2020

Copy to :- Accountant General, Bihar, Patna/ Finance (P.C.F.C.) Department, Bihar, Patna/ Chief Secretary, Bihar/ Development Commissioner, Bihar/ Principal Secretary, Finance Department, Bihar/ Principal Secretary, General Administration Department, Bihar/ Principal Secretary, Health Department, Bihar/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister of Bihar/ Private Secretary to Hon'ble Minister of Health, Bihar and Head of Department of all Department/ All Deputy Secretary, Health Department, Bihar, Patna/ All Under Secretary, Health Department, Bihar, Patna for information.

Copy to :- Director, Ayurved/ Homoeopathy/ Unani/ All the Principal/ Superintendent, Government Ayurvedic, Homoeopathic and Unani Medical College and Hospital, Bihar/ Director-in-Chief, Health Services/ All the Regional Deputy Directors, Health Services/ All the District Indigenous Medical Officers of Bihar/ All the Civil Surgeons of Bihar/ Manager, Government Ayurvedic and Unani Pharmacy Patna/ Registrar, Bihar State Homoeopathic Medical Board, Patna/ Registrar, Bihar State Ayurvedic & Unani Medical Council, Patna/ Deputy Superintendent, 10 bedded Government Homoeopathic Hospital, Patna/ All the Officers and Staffs of Ayush Directorate for information and necessary action.

Copy to :- I.T Manager, Health Department, Bihar, Patna for upload to Departmental Website.


6/1/2020

Special Secretary to the Government